प्रेस विज्ञप्ति

1.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने हैदराबाद स्थित सीबीआई मामलों की माननीय विशेष अदालत में मेसर्स साईश्री इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) और अन्य के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 28.07.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने सीबीआई, आर्थिक अपराध शाखा, चेन्नई द्वारा मेसर्स साईश्री इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रबंधन, बैंक अधिकारियों, अज्ञात लोक सेवकों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, सीबीआई ने मेसर्स साईश्री इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ हैदराबाद के नामपल्ली स्थित माननीय XXI अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। एफआईआर और आरोप पत्र के अनुसार, मेसर्स एसईपीएल और उसके संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक सगीराजू सूर्यनारायण राजू ने जाली/मनगढ़ंत दस्तावेज़ और फर्जी संपत्तियों को संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में प्रस्तुत करके भारतीय स्टेट बैंक के साथ धोखाधड़ी की और बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए संपत्ति के मालिकों के बारे में बैंक को गुमराह भी किया।

ईडी की जाँच से पता चला कि मेसर्स एसईपीएल ने बैंक के साथ धोखाधड़ी की और 7.51 करोड़ रुपये का नुकसान पहुँचाया। मेसर्स एसईपीएल ने अपने बैंक खातों के माध्यम से ऋण राशि को व्यवस्थित रूप से जमा किया। ऋण राशि का एक हिस्सा गबन करके नकद में निकाल लिया गया, जिसका उपयोग बाद में मेसर्स एसईपीएल के निदेशकों के निजी लाभ के लिए किया गया। ईडी की जाँच से यह भी पता चला कि मेसर्स एसईपीएल को मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से 13.53 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने एसबीआई के अपने ऋण खाते के बजाय आंध्रा बैंक में अपने चालू खाते में जमा कर दिया। उक्त धनराशि का उपयोग ऋणदाता बैंक के साथ बकाया राशि का भुगतान करने के लिए किया जाना चाहिए था। हालाँकि, मेसर्स एसईपीएल ने अपराध की आय को और अधिक बढ़ाने के लिए नकदी की निकासी, सगीराजू सूर्यनारायण राजू के व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरण, कर्मचारियों के बैंक खातों में स्थानांतरण, लिए गए अन्य ऋणों का भुगतान आदि जैसे कई लेनदेन किए।

ईडी ने इससे पहले सगीराजू सूर्यनारायण राजू की 3.11 करोड़ रुपये मूल्य की तीन अचल संपत्तियाँ कुर्क की थीं।

आगे की जाँच जारी है।